

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गौतमबुद्ध नगर

प्रमाणक सं. 57/2002-2003 दिनांक 15/9/07 गौतमबुद्ध नगर

विषय:- प्राइमरी स्तर की अस्थायी मान्यता के सम्बन्ध में ।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन पत्र एवं निरीक्षक वर्ग की आख्या एवं संस्तुति के आधार पर जिला मान्यता समिति की बैठक दिनांक 14/9/02 के प्रस्ताव संख्या 1 के निर्णय के अनुसार तथा विशेष सचिव उ० प्र० शासन शिक्षा (6) अनुभाग संख्या -1873/16-6-98-18/एतद (7)89 लखनऊ दिनांक 10 सितम्बर 1998 के अनुपालन में अस्थायी मान्यता की शर्तों को सरलीकरण करते हुये कतिपय प्रतिबंधों के साथ अस्थायी मान्यता प्रदान की जाती है।

क. विद्यालय को जुलाई 2007 से प्राइमरी स्तर की कक्षा 1 से 5 तक की मान्यता प्रदान की जाती है ।

ख. पूर्व प्रदत्त प्राइमरी स्तर की अस्थायी मान्यता शिक्षा प्रसार विद्यालय हित/ छात्र/ छात्रा के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जगहित में जुलाई 2007 से जून 2008 (पांच वर्ष) तक मान्यता प्रदान की जाती है।

ग. विद्यालय की प्राइमरी स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता हेतु जुलाई 2008 से समयावधि हेतु आवेदन करें ।

प्रतिबन्ध

1. प्रशिक्षित अध्यापकों की ही नियुक्ति की जाये ।
2. विद्यालय में स्वीकृत पाठ्यक्रम की ही पुस्तकें पढ़ाई जाये ।
3. विद्यालय में विभागीय निर्धारित शुल्क लिया जाये ।
4. किसी भी अध्यापक को बिना विभागीय अनुमोदन के नियुक्त अथवा सेवा विमुक्त न किया जाये ।
5. विद्यालय में सभी धर्मों के छात्र / छात्राओं को प्रवेश दिया जाय ।
6. विद्यालय की प्रगति प्रत्येक वर्ष (पांच वर्ष) 30 जून तक प्रस्तुत कर दी जाये ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गौतमबुद्ध नगर

पृ० सं० / मान्यता/

सं. 57/2002-2003 दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी विकास क्षेत्र ।
2. जिला समाज कल्याण / जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गौतमबुद्ध नगर ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गौतमबुद्ध नगर